

# फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

धर्म हमेराल विपक्षी उत्तम  
 रस मुकदमा 212/17/25 पत्रावली संख्या 52/20 सन्

मांक कार्यवाही विवरण हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं

29/01/25  
 नकुलाय बादी/प्रतिवादी उप पत्रावली नं. 5  
 के लिये मौका चाहते हैं। अतः अतिरिक्त  
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 03/04/25  
 को पेश हो।  
 (SDO) मावली

21/1/25  
 नकुलाय बादी/प्रतिवादी उप पत्रावली नं. 5  
 के लिये मौका चाहते हैं। अतः अतिरिक्त  
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 22/5/25  
 को पेश हो।  
 (SDO) मावली

29/5/25  
 पत्रावली पेश हुई। कथि. उअमपन. जप./  
 दि. 1-1-207 के क्रम से कथि सम्पन्न सामग्री डुरा।  
 No. Instruction bleed किया गया। पत्रावली अस्त  
 तत्त 1-207 दिनांक 13/6/25 को पेश हो।  
 (SDO) मावली

19/6/25  
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप।  
 उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का  
 निष्पत्ति करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य  
 स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/  
 भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश  
 के क्रम में दिनांक 28/7/25 को पेश हो।  
 (SDO) मावली

28/7/25  
 नकुलाय बादी/प्रतिवादी उप पत्रावली नं. 1-207  
 के लिये मौका चाहते हैं। अतः अतिरिक्त  
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 28/8/25  
 को पेश हो।  
 (SDO) मावली

No Instruction  
 Sanket Ad.



28/8/25  
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप तलावी नं. 1.507  
के लिये मौका चाहते हैं। अतः दिनांक  
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 9/11/25  
में पोष हो।

(SDO) मन्वली

9/11/25  
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप।  
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का  
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य  
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/  
रुकाव/मीटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश  
के क्रम में दिनांक 27/11/25 को पेश हो।

28/11/25

27/11/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण मय  
स्वयं प्रार्थीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण  
मय स्वयं प्रार्थीगण को बार-बार आवाजे  
दिलवाई गई। समय साँघें 5:00 PM हो चुके  
हैं। स्वयं प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता क्षम  
तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण  
मय स्वयं प्रार्थीगण अनुपस्थित रहने पर  
प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अक्षम हाजरी अक्षम  
पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल  
शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय चुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर  
(SDO) मन्वली